# पार्थ योजना

## चर्चा में क्यों?

**खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा पार्थ योजना** (Parth - Police Army Recruitment Training & Skills) 1 मई, 2025 से मध्य प्रदेश के 9 प्रमुख शहरों में **पायलट प्रोज़ेक्ट** के रूप में लागू की जाएगी।

## मुख्य बिंदु

- **योजना के बारे में:**
  - इस योजना का प्रारंभिक शुभारंभ जनवरी 2025 में किया गया था।
  - यह योजना **पायलट प्रोज़ेक्ट** के रूप में **भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा, मुरैना, शहडोल, सागर, इंदौर और उज्जैन** में लागू की जाएगी।
  - प्रत्येक शहर से **50 युवाओं का चयन** किया जाएगा, इस तरह कुल **450 युवा लाभान्वित** होंगे।
- **प्रशिक्षण**
  - यह योजना युवाओं को **सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बलों** में भर्ती हेतु **संपूर्ण प्रशिक्षण** उपलब्ध कराएगी। प्रशिक्षण में शामिल होंगे:
    - **शारीरिक फिटनेस अभ्यास**
    - **लिखित परीक्षा की कोचिंग** (सामान्य ज्ञान, गणित, अंग्रेज़ी आदि)
    - **व्यक्तित्व विकास**
- **संरचना**
  - **संभाग स्तरीय प्रशिक्षण केंद्र** स्थापित किये जाएंगे, जिनका संचालन **ज़िला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी** करेंगे।
  - **ग्रामीण युवा समन्वयक** और **विभागीय कर्मचारी** प्रशिक्षण कार्यक्रम में सहयोग देंगे।
  - यह योजना **पूरी तरह से आत्मनिर्भर** है, इसके लिये **सरकार ने अलग से बजट आवंटित नहीं किया है**।
    - प्रतिभागियों से ली जाने वाली **निर्धारित फीस** के माध्यम से योजना संचालित होगी।
- **उद्देश्य:**
  - प्रदेश के युवाओं को **पुलिस एवं सेना भर्ती के लिये शारीरिक रूप से तैयार** करना।
  - उन्हें **खेल प्रशिक्षण** के माध्यम से अनुशासन, आत्मविश्वास और नेतृत्व कौशल प्रदान करना।
  - **हुनर आधारित प्रशिक्षण** देकर **रोज़गार की संभावनाएँ बढ़ाना**।
  - प्रदेश में **खेल संस्कृति को बढ़ावा देना** और **विद्यालय स्तर पर खेल गतिविधियों को संस्थागत रूप देना**।

# केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF)

***केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) में गृह मंत्रालय के अधीन काम करने वाले भारत के सात सुरक्षा बल शामिल हैं।***

## असम राइफल्स (AR)

- **स्थापना:** वर्ष 1835, मिलिशिया के रूप में जिसे 'कछार लेवी' के नाम से जाना जाता था।
  - **पूर्ववर्ती उद्देश्य:** ब्रिटिश चाय बागानों की रक्षा करना।
- **वर्तमान उद्देश्य:**
  - उत्तर पूर्वी क्षेत्रों (NER) में आतंकवाद विरोधी अभियान चलाना।
  - भारत-चीन और भारत-म्याँमार सीमाओं पर सुरक्षा सुनिश्चित करना।
- **महत्त्वपूर्ण भूमिका:**
  - भारत-चीन युद्ध, 1962
  - श्रीलंका के लिये भारतीय शांति रक्षा सेना (IPKF) (1987) के रूप में।

***आदिवासी इलाकों से लंबे जुड़ाव के कारण असम राइफल्स को 'उत्तर पूर्व का मित्र' भी कहा जाता है***

## सीमा सुरक्षा बल (BSF)

- **स्थापना:** वर्ष 1965
- **उद्देश्य:**
  - पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के साथ भूमि सीमाओं को सुरक्षित करना।
  - साथ ही कश्मीर घाटी में घुसपैठ की समस्याओं को रोकना।
  - उत्तर पूर्वी क्षेत्रों (NER) में उग्रवाद का मुकाबला करना।
  - ओडिशा एवं छत्तीसगढ़ में नक्सल विरोधी अभियान चलाना।
- **विंग:** एयर विंग, समुद्री विंग, आर्टिलरी रेजीमेंट और कमाण्डो यूनिट्स।

***सीमा सुरक्षा बल (BSF) भारत का पहला लाइन ऑफ़ डिफेंस और विश्व का सबसे बड़ा सीमा सुरक्षा बल है***

## केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल (CRPF)

- **स्वतंत्रता-पूर्व स्थापना:** वर्ष 1939 (क्राउन रिप्रेजेंटेटिव्स पुलिस)।
- **स्वतंत्रता के पश्चात्:** वर्ष 1949 - CRPF अधिनियम के तहत, केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल के रूप में नामित किया गया।
- **उद्देश्य:** भीड़ नियंत्रण, दंगा नियंत्रण, काउंटर मिलिटेंसी/उग्रवाद संचालन, आदि।

***CRPF आंतरिक सुरक्षा के लिये प्रमुख केंद्रीय पुलिस बल है***

## भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP)

- **स्थापना:** वर्ष 1962।
- **उद्देश्य:**
  - काराकोरम दर्रे (लद्दाख) से जचेप ला (अरुणाचल प्रदेश) तक सीमा पर तैनात (भारत-चीन सीमा का 3488 कि.मी. कवर करती है)।
  - भारत-चीन सीमा के पश्चिमी, मध्य और पूर्वी क्षेत्रों में 9000 फीट से 18700 फीट की ऊँचाई पर स्थित सीमा चौकियों की निगरानी।

***ITBP एक विशेष पर्वतीय सैन्य बल है; जिसे प्राकृतिक आपदाओं का प्रथम प्रतिक्रियाकर्ता कहा जाता है***

## राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG)

- **स्थापना:** वर्ष 1984 (1986 में अस्तित्व में आया), **ऑपरेशन ब्लू स्टार** के पश्चात्।
- **उद्देश्य:** आतंकवाद-रोधी इकाई/संघीय आकस्मिक बल।
- **टास्क ओरिएंटेड फोर्स- दो पूरक शाखाएँ:**
  - स्पेशल एक्शन ग्रुप (SAG)।
  - स्पेशल रेंजर ग्रुप (SRG)।

## सशस्त्र सीमा बल (SSB)

- **स्थापना:** वर्ष 1963
- **उद्देश्य:**
  - भारत-नेपाल और भारत-भूटान सीमाओं की रक्षा करना।
  - सीमा सुरक्षा बढ़ाना, सीमा पार अपराधों पर अंकुश लगाना, अनधिकृत प्रवेश/निकास को रोकना, तस्करी रोकना, आदि।

## केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF)

- **स्थापना:** केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 के तहत।
- **उद्देश्य:** महत्त्वपूर्ण बुनियादी ढाँचा प्रतिष्ठानों की सुरक्षा सुनिश्चित करना।

***CISF एक विशेष फायर विंग वाली एकमात्र CAPF यूनिट है***

Drishti IAS

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/parth-plan